ग्राम पंचायत शिशवी, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.21 से 31.03.23
भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत शिशवी, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखों का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति एकता शर्मा	01-04-21 से 31-03-23

सचिव :-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री कुमत राम	01-04-21 से 30-10-21
2	श्रीमति प्रोमिला कुमारी	01-11-21 से 31-03-23

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत शिशवी के लेखों अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5 (क)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	20.83

2	6 (क)	पंचायत राजस्व गृह कर की प्राप्त योग्य राशि की वसूली न करना	0.47
3	7	मनरेगा निधि से निष्पादित निर्माण कार्य की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना ।	07.46
4	9 (ख)	आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण अनियमित भुगतान करना	0.79
5	10	निर्माण कार्य में दोहरी हाजिरी (Double Attendance) लगाने के कारण अनियमित व अनुचित लाभ प्रदान करने बारे	0.34

भाग- दो

2 (क) वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत शिशवी, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री संतोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 20-03-24 से 27-03-24 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत पड़ताल हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	03/22	07/21
2022-23	03/23	03/23

<u>अस्वीकरण</u> :- अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत शिशवी, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की

राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या एस. के./के.एल.यू./एस.ए.डी./ 2024-54 दिनाँक 27-03-24 द्वारा अनुरोध किया गया है । जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा।

4 **वित्तीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत शिशवी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्वः स्रोत :- ग्राम पंचायत शिशवी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की स्वः स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

Financial position of Own Sources of Gram Panchyat Shishvi					
Year	**Opening Balance (₹)**	**Income (₹)**	**Total (₹)**	**Expenditure (₹)**	**Closing Balance (₹)**
2021-22	2829583	1401376	4230959	153089	4077870.00
2022-23	4077870	165757	4243627	102629	4140998.00

(ii)अनुदानः- ग्राम पंचायत शिशवी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख़)** में संलग्न है :-

Financial position of grants including 14th FC of Gram Panchyat Shishvi					
Year	**Opening Balance (₹)**	**Income (₹)**	**Total (₹)**	**Expenditure (₹)**	**Closing Balance (₹)**
2021-22	2123599	485905	2609504	1790410	819094
2022-23	819094.0	2597674	3416768	2968040	448728

(iii) 15 वाँ वित्त आयोगः- ग्राम पंचायत शिशवी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

Financial position of 15th FC of Gram Panchyat Shishvi					
Year	**Opening Balance (₹)**	**Income (₹)**	**Total (₹)**	**Expenditure (₹)**	**Closing Balance (₹)**
2021-22	1080625	411729	1492354	0	1492354
2022-23	1492354	1176205	2668559	1034190.00	1634369.00

बैंक समाधान विवरणी	
स्व: स्त्रौत :-	
दिनाँक 31.03.23 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	4140998.00
अनुदान :-	
दिनाँक 31.03.23 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	2083097.00
स्व: स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष	6224095.00
कुल योग	**6224095.00**
दिनाँक 31.03.23 को हस्तगत रोकड़ राशि का अंत शेष	50.00
दिनाँक 31.03.23 को बैंक खातों में अन्तिम शेष **(परिशिष्ट - घ)**	6207397.00
कुल योग	**6207447.00**
अंतर की राशि	**16648.00**

(iv) एमजी नरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	0	3146328	0	3146328	3146328	0
2022-23	0	3838458	0	3838458	3838458	0

4.1 e- Gram swaraj में संधारित रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹0.17 लाख का समाधान न करने बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) प्रारम्भ की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं /सामान की खरीद/भुगतान सम्पत्ति इत्यादि का इंद्राज करना था। पंचायत के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में **e- Gram swaraj** में संधारित रोकड़ बही कुल प्राप्तियाँ व कुल खर्चो को दर्ज किया गया था परंतु बैंक खातों में से मिलान नहीं किया गया था । इस प्रकार **e- Gram swaraj** एप्लीकेशन के अंतर्गत दर्ज आंकड़ो का वास्तविक प्राप्तियों के आंकड़ो से मिलान न होने पर बैंक शेष व **e- Gram swaraj** रोकड़

बही मे अंतर के कारण **e- Gram swaraj** रोकड़ बही में दर्ज आंकड़ो के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकती । परिणामस्वरूप पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) के अंतर्गत प्रारम्भ की गई इस एप्लीकेशन को परिपूर्ण करने का उद्देश्य निष्फल रहा तथा रोकड़ बही व प्रियासॉफ्ट में लेखों के सही होने की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकती। अत: ग्राम पंचायत की **e- Gram swaraj** में संधारित रोकड़ बही तथा बैंक खातों में कुल **₹16448.00** का अंतर पाया गया जिसका पंचायत द्वारा समाधान नहीं किया गया था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है | अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-45 दिनाँक 21-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैंक खातो व रोकड़ बही का मिलान नियमानुसार किया जाएगा व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा ।

5 **(क) अनुदान ₹20.83 लाख का उपयोग न करना :-**

सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनाँक 31.03.23 तक अनुदान ₹20,83,097.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी । जिसका विवरण **पैरा संख्या 4 (ii)** व **(iii)**में दिया गया है जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। वर्ष 2022-23 के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है :-

Sr. No.	Name of Funding Agency	Name of Head	Opening Balance (₹)	Grant Received During the year (₹)	Total (₹)	Expenditure (₹)	Unutilized Amount (₹)
1	SFC	15th Fc	1492354	1176205	2668559	1034190.00	1634369.00
2	BDO/SFC	14th Fc, SDP, SDRF, VKVNY, BASP	819094.0	2597674	3416768	2968040	448728
						Total	**2083097**

(ख) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना:-

ग्राम पंचायत शिशवी द्वारा अंकेक्षण अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 31 की अवहेलना की गई है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 **(क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹0.47 लाख की वसूली न करना** :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 32 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ङ)** अनुसार ₹47630 की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) दुकानों के किरायेदारों से देय किराये की मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर तैयार न करना:-

ग्राम पंचायत के दुकान किराये से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2013-14 से दुकाने किराए पर दी गयी थी परंतु ग्राम पंचायत द्वारा दुकानों के किराए का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर नहीं बनाया गया था तथा न ही कोई रजिस्टर अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया गया । वर्ष 2021-22 में इन दुकानों को ग्राम पंचायत द्वारा नगर पंचायत निरमंड को सौंप दिया गया तथा रजिस्टर न होने के कारण दुकानों से प्राप्त आय व वसूली हेतु शेष राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः परामर्श दिया जाता है दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर को शीघ्र तैयार किया जाये तथा लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से

अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए जिससे ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति को सुदृढ किया जा सके तथा लम्बित बकाया राशि की शत प्रतिशत वसूली को भी सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) स्व: स्रोत से प्राप्त आय ₹0.13 लाख की राशि को पंचायत निधि में जमा न करके व्यय करने बारे :-

ग्राम पंचायत शिशवी, विकास खण्ड निरमंड, जिला कुल्लू (हि० प्र०) की अवधि 01-04-21 से 31-03-23 के अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा स्व: स्रोत से प्राप्त आय के रूप में वसूली की गयी **₹**13279 की राशि को पंचायत निधि में जमा करवाए बिना ही व्यय किया गया था जबकि हि०प्र० वित्तीय नियमावली, 2009 के चैप्टर-2 के अन्तर्गत नियम 3 अनुसार प्राप्त आय को सर्वप्रथम सरकारी खाते/निधि में जमा किया जाना आपेक्षित है परन्तु पंचायत द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा पंचायत द्वारा इन राशियों को निधि में जमा कराए बिना ही खर्च कर दिया जोकि सरकारी धन के दुरुपयोग को दर्शाता है । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**रोकड़ बही में दर्ज दिनाँक**	**स्व : स्रोत से प्राप्त आय का विवरण**	**राशि (₹)**	**नकद रोकड़ से व्यय की गयी राशि (₹)**	**टिप्पणी**
	Opening Balance cash		**879**		
1	01-04-21	दुकान का किराया	3000		
2	03-05-21	दुकान का किराया	2000	3500	OE
3	31-05-21	गृहकर	50		
4	03-06-21	गृहकर	370	1800	OE
5	26-06-21	विवाह पंजीकरण शुल्क	200	720	OE
6	03-09-21	विवाह पंजीकरण शुल्क	200		OE
7	04-10-21	गृहकर	150		OE
8	04-10-21	अमवेदकर भवन शुल्क	500		

9	05-10-21	case fine fee	200		
10	05-10-21	अमवेदकर भवन शुल्क	500		
11	05-10-21	case fine fee	400		
12	15-11-21	अमवेदकर भवन शुल्क	1000	2150	refreshment
13	12-01-22	भू -राजस्व	800		
14	12-01-22	भू -राजस्व	500		
15	26-02-22	अमवेदकर भवन शुल्क	500		
16	29-03-22	अमवेदकर भवन शुल्क	500	3500	OE
17	07-05-22	certificate fee	10		
18	23-05-23	विवाह पंजीकरण शुल्क	200		
19	26-05-22	certificate fee	10		
20	20-06-22	certificate fee	10		
21	02-02-23	भू -राजस्व	800	650	numberdar payment
22	02-02-23	भू -राजस्व	500	959	OE
Total			**13279**	**13279**	

उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024- 53 दिनाँक 27-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा तथा इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत: उपरोक्त राशि को बैंक में जमा न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि का सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाए अन्यथा

इस राशि की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹1400 की कम वसूली करना :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनाँक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹**200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए **₹** 400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 01.04.21 से 31.03.2023 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹1400** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रसीद संख्या / दिनाँक	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तारीख	विवाह पंजीकरण की तारीख	राशि (₹)
1	nil	Taniya D/o sh. Virender Mohan	21-05-22	08-06-22	200
2	23801/09-05-22	Harish s/o Sh. Jiya Lal	23-04-22	09-05-22	200
3	23802/23-05-22	Sunidhi D/o Pratap Chand	11-05-22	23-05-22	200
4	23803/26-05-22	Anil Prasad r/o Awera	04-05-22	26-05-22	200
5	23804/08-06-22	Smt. Shabnam Komal	27-09-22	01-10-22	200
6	23805/13-02-23	Gunjan D/o Sh. Jiya Lal	25-01-23	13-02-23	200
7	23806/18-03-23	Hitesh s/o Sh. Gur dass	19-02-23	18-03-23	200
Total					**1400**

सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024- 53 दिनाँक 27-03-24 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली राशि को

वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए । इसके अतिरिक्त विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त आय को विवाह पंजीकरण नियमावली, 2004 के नियम संख्या 9 के प्रावधानों अनुसार सम्बन्धित राजकोष आय शीर्ष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. मनरेगा निधि से निष्पादित निर्माण कार्य ₹ 07.46 लाख की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 94 के प्रावधानानुसार सभी संकर्म/वर्क्स कार्य जिनकी लागत ₹50,000 से अधिक है, को पंचायत द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन व प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही निष्पादित किया जाना अपेक्षित है तथा ₹25,000 से कम के संकर्म/वर्क्स कार्य के लिए अनुमानित लागत प्राक्कलन (Rough work estimate) तैयार किया जाना अपेक्षित है परन्तु मनरेगा निधि के चयनित माह के व्यय वॉउचरो के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में **₹746700** के मस्ट्रोलों का भुगतान किया गया था परंतु भुगतान किए गए मस्ट्रोलों से सम्बन्धित माप पुस्तिका को अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । मस्ट्रोलों हेतु भुगतान की गयी राशि की तुलना/सत्यापन माप पुस्तिका के साथ नहीं की जा सकी, जिसके अभाव में यह ज्ञात करना कठिन है कि जिस कार्य हेतु जितनी राशि का भुगतान किया है वास्तविक में उस राशि के बराबर कार्य किया गया है अथवा नहीं । जिस कारण ग्राम पंचायत शिशवी द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में मनरेगा निधि से किए गए मस्ट्रोलों के भुगतान राशि की स्त्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी व अंकेक्षण में रिकॉर्ड प्रस्तुत न करना संदिग्ध व अनुचित प्रतीत होता है । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	मस्ट्रोल संख्या	माप पुस्तिका संख्या	भुगतान की गयी राशि (₹)
2021-22	3696 to 3709	2866	349600
2022-23	10444 to 10489	2928	397100
		Total	**746700**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-49 दिनाँक 26-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः बिना पूर्ण औचारिकताओं के निर्माण/विकास कार्यों को निष्पादित करने व उनका भुगतान करने के सन्दर्भ में पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही निर्माण कार्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8. **सचिव, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के आदेशों की अवेहलना करके ₹ 15.00 लाख की सामग्री पर व्यय करने बारे :-**

सचिव, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या file No –RDD-XEN-/2018 –e-tendring दिनाँक जुलाई 2018 के अनुसार ₹ 5.00 लाख से अधिक के सामान के क्रय करने हेतु e-Tendering की प्रक्रिया को अपनाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत शिशवी के विभिन्न भुगतान वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि संलग्न विवरणानुसार कुल ₹1500000/- की मशीनरी जिसका स्वीकृत मूल्य ₹5.00 लाख से अधिक था उस सामान के क्रय करने हेतु e-Tendering को avoid करके साधारण कोटेशन आमंत्रित की गयी थी तथा साथ ही टेंडर सम्बन्धी सूचना (Tender Notice) किसी प्रतिष्ठित व National News Paper में प्रकाशित नहीं की गई थी, जोकि जानबूज कर e-Tenderring को Avoid करके किसी विक्रेता विशेष को अनुचित लाभ दिए जाने की स्थिति को परिलक्षित करता है, जिस कारण सामान दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नही किया जा सकता। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-48 दिनाँक 23-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत : e-Tendering को avoid करके साधारण कोटेशन आमंत्रित करना एक ही विक्रेता को अनुचित लाभ दिए जाने की स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। जिसका विवरण **परिशिष्ट (च)** में दिया गया है।

9. (क) मद संख्या 3" Providing and laying precast terrazzo tiles hydraulic compressed flooring 20mm avg. thickness" के निष्पादन में सम्भावित ₹ 0.15 लाख का अनियमित / अधिक भुगतान ।

निर्माण कार्य का नाम	C/o Chacca tiles Block kenchi to main road Awera GP Shishwi.
माप पुस्तिका सं. / पृष्ठ सं.	8169/ 09-10
अनुमानित लागत	₹ 500000
समापन लागत	₹ 500000

माप पुस्तिका संख्या 8169 के पेज़ संख्या 10 पर , मद संख्या -03 " **providing and laying precast terrazzo tiles hydraulic compressed flooring 20mm avg. thickness** " के कार्य की जांच करने हेतु मद संख्या 2 " **P.C.C. Work in 1:3:6(1 cement :3 sand : 6 grade stone aggr. Of 20mm nominal size) curing etc.complete but excluding the cost of form work and rainforcement in :path** " के साथ तुलना करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रास्ते के कार्य में मद संख्या-1 में 1.00 मीटर चौड़ाई में सोलिंग का कार्य किया गया था व मद संख्या 2 में 1.00 मीटर चौड़ाई में 1:3:6 डाला गया था जिसके अनुसार 1.00 मीटर चौड़ाई में ही मद संख्या 3 द्वारा टाइलों का कार्य करना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा मद संख्या 3" **providing and laying precast terrazzo tiles hydraulic compressed flooring 20mm avg. thickness** "में चौड़ाई की मात्रा 1.00 मीटर के स्थान पर 1.20 मीटर ली गयी थी जो कि अनुचित प्रतीत होता है जिस कारण उस कार्य पर वास्तविक खर्च की गयी राशि से **₹15243** की राशि का अधिक खर्च किया गया था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Quantity of providing and laying precast terrazzo tiles hydraulic compressed flooring 20mm avg. thickness quantity As Per MB No. 8169 Page 10	Quantity of providing and laying precast terrazzo tiles hydraulic compressed flooring 20mm avg. thickness(Actualy required to be executed)	excess quantity entered in MB
1 x 398 x 1.20 = 477.60 sqm	1 x 398 x 1.00 = 398.00 sqm	
Total =477.60 Sqm	Total = 398.00 Sqm	Total = 79.60 Sqm (477.60-398.00)
Excess Amount Paid = 79.60 x 191.50 =15243.40 Say ₹15243.00		

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-52 दिनाँक 26-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अत: कार्य को नियमानुसार न करने के कारणो को स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.79 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनाँक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को **₹78692** का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (छ)** में दिया गया है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-53 दिनाँक 27-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ठेकेदार /सप्लायर से रॉयल्टी की राशि अवधि 01-04-21 से 31-03-23 तक नहीं वसूली गयी थी जिसे सम्बन्धित ठेकेदार /सप्लायर से वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की राशि को उचित स्रोत से वसूली करके सम्बन्धित विभाग में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से

अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में आपूर्तिकर्ता से खनन अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ग) स्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.27 लाख का संविदाकार को अनियमित भुगतान करने बारे :-

सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की पड़ताल करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने हेतु बिलों का भुगतान किया गया था । जबकि आयकर अधिनियम की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति/फर्म/संविदाकार के द्वारा प्रस्तुत भुगतान बिलों से स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । परंतु ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान **₹ 27181** की स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । जिसका विवरण **परिशिष्ट (ज)** में दिया गया है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-39 दिनाँक 19-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कटौती न करने के कारण ठेकेदार को किए गए अधिक भुगतान की राशि को वसूल करके सम्बन्धित सरकारी विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अतः स्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

10. निर्माण कार्य में दोहरी हाजिरी (Double Attendance) लगाने के कारण ₹0.34 लाख अनियमित व अनुचित लाभ प्रदान करने बारे :-

ग्राम पंचायत शिशवी खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 1/04/21 से 31-03-23 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा एक ही तिथि में विभिन्न कार्यों हेतु मस्ट्रोल जारी किए गये थे जिसमें काम करने वाले मजदूरों को एक ही तिथि में एक से अधिक मस्ट्रोल में हाजिरी दर्ज की गयी थी जबकि नियमानुसार एक समय में व्यक्ति एक ही कार्य में उपस्थित हो सकता है जिसका विवरण संलग्न है । इस प्रकार पंचायत द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को एक समय में एक से अधिक कार्यों में उपस्थित होने के कारण **₹33,700** का अनियमित व अनुचित भुगतान किया गया था जिसकी जाँच ग्राम पंचायत द्वारा न ही मस्ट्रोल जारी करते समय

की गयी तथा न ही मस्ट्रोल का भुगतान करते समय की गई। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य में दोहरी हाजिरी (Double Attendance) के लाभ प्रदान किए गए जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है तथा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के प्रयास को भी दर्शाता है। उक्त मामले में नियमानुसार कार्यवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए जिसका विवरण विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	निधि का नाम	मस्ट्रोल संख्या	मस्ट्रोल जारी करने की तारीख	कार्य का नाम	व्यक्ति का नाम	कार्य करने की अवधि	मस्ट्रोल में उपस्थित दिनों की संख्या	दोहरी हाजरी वाले दिनों की संख्या	भुगतान दर (₹)	भुगतान राशि (₹)
1	14 th FC	1111	25-07-22	निर्माण ब्रेस्ट वाल पंचायत घर शीशवी	निखिल पुत्र श्री प्रेम चंद	01-08-22 से 31-08-22	21 दिन			
					दामिनी पुत्री श्री प्रताप चंद	01-08-22 से 31-08-22	21 दिन			
	15 th FC	1114	25-07-22	निर्माण पक्का रास्ता अमर के घर से आरन तक	निखिल पुत्र श्री प्रेम चंद	01-08-22 से 31-08-22		18 दिन	350	6300
					दामिनी पुत्री श्री प्रताप चंद	01-08-22 से 31-08-22		18 दिन	350	6300
2	14 th FC	1117	25-07-22	निर्माण ड्रेन व पक्का रास्ता डमौड़ से निड्सु	विनोद कुमार पुत्र श्री टेक चंद	01-08-22 से 31-08-22	15 दिन			
					डिम्पल कुमार पुत्र श्री टेक चंद	01-08-22 से 31-08-22	15 दिन			
		1110	25-07-22	निर्माण ड्रेन व पक्का रास्ता दूनी चंद के घर से कतिउर	विनोद कुमार पुत्र श्री टेक चंद	01-08-22 से 31-08-22		13 दिन	396	5148
					डिम्पल कुमार पुत्र श्री टेक चंद	01-08-22 से 31-08-22		14 दिन	350	4900
3		1120	24-09-22	निर्माण पक्का रास्ता अमर के घर से आरन तक	दामिनी पुत्री श्री प्रताप चंद	01-10-22 से 31-10-22	22 दिन			

		1115	24-09-22	मुरम्मत रास्ता कमली राम के घर से	दामिनी पुत्री श्री प्रताप चंद	01-10-22 से 31-10-22		18 दिन	350	6300
4		1141	24-12-22	निर्माण पक्का रास्ता शिशवी गाँव से ग्राम पंचायत शिशवी	योगेश पुत्र श्री कुशल चंद	01-01-23 से 31-03-23	25 दिन			
		1135	24-12-22	निर्माण पक्का रास्ता कमली राम के घर से धर्मेन्दर के घर तक	योगेश पुत्र श्री कुशल चंद	01-01-23 से 31-03-23		12 दिन	396	4752
	कुल योग									**33700**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-53 दिनाँक 27-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस सम्बन्ध में उचित जांच की जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अत : इन कार्यों की जाँच पंचायत स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए तथा इन व्यक्तियों/ मजदूरों द्वारा किए गए वास्तविक कार्य की भुगतान राशि ही प्रदान की जाए तथा अतिरिक्त राशि की वसूली करके संबन्धित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11. पंचायत सदस्यों को मानदेय के रूप में ₹1250 का अधिक भुगतान :-

हि0प्र0पंचायती राज {वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते}नियम, 2002 के नियम 62{2} के अर्न्तगत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो इस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा । अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को दिए गए मानदेय भुगतान का ग्राम सभा के कार्रवाई रजिस्टर के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में निर्वाचित सदस्यों को **₹ 1250** के मानदेय का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	नाम	अवधि								अंतर (₹)
		05-06-2021	06-07-2021	25/06/21	07-06-2021	24/07/21	कुल बैठक	भुगतान की गई राशि (₹)	वास्तविक भुगतान राशि (₹)	
1	श्रीमति सुमन कुमारी	P	P	P	P	P	5 दिन	1500	1250	250
2	श्री प्रताप चन्द	P	P	P	P	P	5 दिन	1500	1250	250
3	श्रीमति बंदिश कुमारी	P	P	P	P	P	5 दिन	1500	1250	250
4	श्री विद्या राम	P	P	P	P	P	5 दिन	1500	1250	250
5	श्री राज कुमारी	P	P	P	P	P	5 दिन	1500	1250	250
	कुल योग							**7500**	**6250**	**1250**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-53 दिनाँक 27-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि मानदेय के रूप में अधिक भुगतान की गयी राशि को वसूल कर के पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा । अतः बिना सभा में उपस्थिति के सदस्यों को दिए गए मानदेय के भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

12. गणना में त्रुटि होने के कारण ₹ 288 का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत शिशवी खण्ड निरमंड, जिला कुल्लू (हि० प्र०) की अवधि 0-04-21 से 31-03-23 के अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि के व्यय वाउचरो की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा महिला मण्डल अवेरा को ₹20000 की राशि का सामान क्रय किया गया था परन्तु आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिल की गणना सही नहीं की गयी थी जिस कारण सम्बन्धित फ़र्म को **₹288** का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनाँक	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)	वास्तविक भुगतान योग्य राशि(₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	Sumit Enterprise Rampur Bushehar	029/20-02-23	Furniture for Mahila mandal Awera	20000	19712	288

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-53 दिनाँक 27-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस संबंध में उचित जांच की जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत : अतिरिक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके संबन्धित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

13. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतगर्त विभिन्न अप्लिकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्रवाई जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत शिशवी, विकास खण्ड निरमंड ,जिला कुल्लू (हि० प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल प्रिंटर व लेपटॉप ही दर्ज किया गया था तथा उनमे भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे। इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे फ़र्निचर,टेवल ,कुर्सी ,क्रॉकरी,हीटर इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 1 कार्य को ही दर्ज किया गया था उसकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2023) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में दर्ज नहीं किया था।

पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई अप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त अप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों

को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों उल्लंघन ही नहीं बल्कि पंचायत सचिव की लापरवाही भी है जो की गंभीर अनियमितता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-46 दिनाँक 22-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में शीघ्र ही दर्ज किया जाएगा । अत : पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करने के कारणो को स्पष्ट किया जाये तथा शीघ्र ही दर्ज करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

14. भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि होने बारे :-

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया की ग्राम पंचायत शिशवी विकास खण्ड निरमंड , जिला कुल्लू (हि० प्र०) में भू-राजस्व की जो राशि वर्ष में दो बार खरीफ फसल तथा रवी फसल के दौरान लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती है केवल उसे ही पंचायत की आय में जमा करवाया जाता है। परंतु जांच में यह पाया गया पंचायत द्वारा नियमानुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा है । जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे की यह पता लगाया जाता की पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके। अतः पंचायत सचिव द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचायत को अनुवर्ती नुक्सान भी हो रहा है तथा न ही सम्बन्धित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी अंकेक्षण के दौरान जांच की जा सके ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2024-47 दिनाँक 22-03-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत : भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाये जाने के कारण स्पष्ट किये जाए तथा शेष राशि की वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। अतः सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना:-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
3	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
7	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17. लघु आपति विवरणिका:-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

18. निष्कर्ष:-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष नं0—0177—2626670

03 JUL 2024

3141 - 3145

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(3)80/2024—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधानसभा, शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत शिशवी, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष नं0—0177—2626670

परिशिष्ट (ड) पैरा संख्या 4 (i) के संदर्भ में

Financial position of Own Sources of Gram Panchyat Shishvi					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	2829583	1401376	4230959	153089	4077870.00
2022-23	4077870	165757	4243627	102629	4140998.00

Note :- Opening balance as on 01/4/21 has been taken as per Bank Pass book.

परिशिष्ट (2-1) देखें पैरा 4 (iii) के संदर्भ

Financial position of grants including 14 th Fc of Gram Panchyat Shishvi					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	2123599	485905	2609504	1790410	819094
2022-23	819094.0	2597674	3416768	2968040	448728

Note:- Opening Balance as on 01/04/21 has been taken as per Bank Pass book.

परिशिष्ट (ग) पैरा संख्या 4(iii) के संदर्भ में

Financial position of 15 th FC of Gram Panchyat Shishvi					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2021-22	1080625	411729	1492354	0	1492354
2022-23	1492354	1176205	2668559	1034190.00	1634369.00

Note :- Opening balance as on 01/04/21 has been taken as per Bank Passbook.

Income and Expenditure Statement of MGNREGA of GP Shishvi for the period 01-04-2021 to 31-03-2023

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	0	3146328	0	3146328	3146328	0
2022-23	0	3838458	0	3838458	3838458	0

Santosh Kumar
Junior Auditor
HP State Audit Deptt
Shimla - 171009

Bank Account Details as on 31-03-2023 Gram Panchayat Shishvi				
S.No	Account no	Bank Name	Head	closing balance
1	20038006986	K.C.C.B.Nmd	Gen/Sabha Nidhi	4285901
2	50067389371	K.C.C.B.Nmd	14th FC	0
3	20038006476	K.C.C.B.Nmd	Sabha Nidhi	7767
4	50071935972	K.C.C.B.Nmd	15th fin	1642540
5	20038006919	K.C.C.B.Nmd	IWMP	194616
6	20038006680	K.C.C.B.Nmd	IWMP	0
7	20038006216	K.C.C.B.Nmd	RAY	76573
		Total		6207397

परिशिष्ट (ड.) पैरा संख्या 6 (क) से संबंधित

गृहकर वर्ष 2021-22 व 2022-2023 ग्राम पंचायत शिशवी

क्रमांक	वर्ष	अंतिम वर्ष का शेष	निर्धारित राशी	कुल परिवार	वसूल की जाने वाली राशी	संग्रहित राशी	वर्ष के अंत में शेष
1	2021-22	16000	50	320	16000	570	31430
2	2022-23	31430	50	324	16200	0	47630

ग्राम पंचायत शिशवी कि वर्ष 2020-2021 में नई स्थापना हुई हैं। अत: गृहकर हेतु वर्ष 2020-2021 से ही गृहकर शुल्क राशी बसूल की जा रही हैं।

परिशिष्ट (च) पैरा संख्या 8 के सन्दर्भ में

विकास कार्यों की सूचि ग्राम पंचायत शिशवी					
क्रमांक	विकास कार्यों का नाम	स्वीकृत राशी	व्यय की गई राशी	शेष राशी	स्वीकृति दिनांक
1	निर्माण चक्का टायल ब्लॉक केंची से मैंन रोड़ अवेरा (MMGAY)	500000	304024	195976	15-06-2022
2	निर्माण खेल मैदान शिशवी (MMGAY)	500000	349866	150134	15-06-2022
3	निर्माण एम्बुलेंस रोड़ केदस रोड़ से कतिउर (LADA)	500000	248272	251728	11-02-2022

परिशिष्ट (ख) पैरा संख्या 9 (ख) के सन्दर्भ में

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CFT	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
	MG NREGA Head									
1	M/s Mamta Transportation village Bahwa , P.O Jadoli , Nirmand	1185/15-02-22	Stone	19500	3 tipper	9.72	2.24	21.77	80	1742
2	do	1239/19-03-22	Stone	26000	4 tipper	12.96	2.24	29.03	80	2322
3	do	1241/19-03-22	Stone	26000	4 tipper	12.96	2.24	29.03	80	2322
4	do	1238/18-03-22	Stone	26000	4 tipper	12.96	2.24	29.03	80	2322
5	do	1242/19-03-22	Stone	19500	3 tipper	9.72	2.24	21.77	80	1742
6	do	1262/21-03-22	Stone	26000	4 tipper	12.96	2.24	29.03	80	2322
7	do	1092/28-08-21	Sand	5600	100	2.83	1.62	4.58	60	275
8	do	1088/26-08-21	Agg	8500	170	4.81	1.52	7.31	60	439
9	do	1084/23-08-21	Sand	8160	170	4.81	1.62	7.79	60	468
10	do	1085/23-08-21	Agg	8500	170	4.81	1.52	7.31	60	439
11	do	1080/14-08-21	Sand	8160	170	4.81	1.62	7.79	60	468
12	do	1082/18-08-21	Agg	8500	170	4.81	1.52	7.31	60	439
13	do	1081/18-08-21	Sand	8160	170	4.81	1.62	7.79	60	468
14	do	1083/19-08-21	Agg	8500	170	4.81	1.52	7.31	60	439
15	do	1089/27-08-21	Sand	8160	170	4.81	1.62	7.79	60	468
16	do	1091/27-08-21	Agg	8500	170	4.81	1.52	7.31	60	439
17	do	1094/29-08-21	Sand	8160	170	4.81	1.62	7.79	60	468
18	do	1095/29-08-21	Agg	8500	170	4.81	1.52	7.31	60	439
19	do	1260/21-03-22	Sand	9600	200	5.66	1.62	9.17	80	734
20	do	1261/21-03-22	Sand	9600	200	5.66	1.62	9.17	80	734
21	do	1231/17-03-22	Sand	6720	120	3.40	1.62	5.50	80	440
22	do	1235/18-03-22	Sand	8160	170	4.81	1.62	7.79	80	624
23	do	1229/11-03-22	Sand	6720	120	3.40	1.62	5.50	80	440
24	do	1254/21-03-22	Sand	8160	170	4.81	1.62	7.79	80	624
25	do	1246/20-03-22	Sand	4080	85	2.41	1.62	3.90	80	312
26	do	1244/20-03-22	Sand	4080	85	2.41	1.62	3.90	80	312
27	do	1251/20-03-22	Sand	8160	170	4.81	1.62	7.79	80	624
28	do	1243/19-03-22	Sand	4080	85	2.41	1.62	3.90	80	312
29	do	1247/20-03-22	Sand	4080	85	2.41	1.62	3.90	80	312
30	do	1259/21-03-22	Sand	8160	170	4.81	1.62	7.79	80	624
31	do	1258/21-03-22	Sand	8160	170	4.81	1.62	7.79	80	624
32	do	1245/20-03-22	Sand	4080	85	2.41	1.62	3.90	80	312
33	do	1248/20-03-22	Sand	4080	85	2.41	1.62	3.90	80	312
34	do	1256/21-03-22	Sand	8160	170	4.81	1.62	7.79	80	624
35	do	1253/21-03-22	Sand	8160	170	4.81	1.62	7.79	80	624
36	do	1249/20-03-22	Sand	4080	85	2.41	1.62	3.90	80	312
37	do	1255/21-03-22	Sand	8160	170	4.81	1.62	7.79	80	624
38	do	1250/20-03-22	Sand	4080	85	2.41	1.62	3.90	80	312
39	Hem chand Village Thanu P.O. Kangal. Kumarsain	3715/05-11-20	Stone	11000	2 tipper	6.48	2.24	14.52	60	871
40	do	3487/20-08-20	Stone	10000	2 tipper	6.48	2.24	14.52	60	871
41	do	3488/30-08-20	Stone	10000	2 tipper	6.48	2.24	14.52	60	871
42	do	3494/21-09-20	Stone	10000	2 tipper	6.48	2.24	14.52	60	871
43	do	3489/10-09-20	Stone	11000	2 tipper	6.48	2.24	14.52	60	871
44	do	3490/11-09-20	Stone	5500	1 tipper	3.24	2.24	7.26	60	435
45	do	3498/04-10-20	Agg	9860	170	4.81	1.52	7.31	60	439
46	do	3495/21-09-20	Stone	5500	1 tipper	3.24	2.24	7.26	60	435
47	do	3497/03-10-20	Sand	8840	170	4.81	1.62	7.79	60	468
48	do	3493/17-09-20	Sand	7990	170	4.81	1.62	7.79	60	468
49	do	3499/28-10-20	Agg	11600	200	5.66	1.52	8.60	60	516
50	do	3496/22-09-20	Stone	11000	2 tipper	6.48	2.24	14.52	60	871
51	do	3459/24-07-20	Stone	11000	2 tipper	6.48	2.24	14.52	60	871
52	do	3462/02-08-20	Stone	16500	3 tipper	9.72	2.24	21.77	60	1306
53	do	3464/02-08-20	Sand	7800	150	4.25	1.62	6.88	60	413
54	do	3465/02-08-20	Sand	7800	150	4.25	1.62	6.88	60	413
55	do	3466/02-08-20	Sand	7800	150	4.25	1.62	6.88	60	413
56	do	3458/19-07-20	Sand	7800	150	4.25	1.62	6.88	60	413
57	do	3467/03-08-20	Sand	7800	150	4.25	1.62	6.88	60	413
58	do	3468/03-08-20	Sand	7800	150	4.25	1.62	6.88	60	413

59	do	3469/03-08-20	Sand	7800	150	4.25	1.62	6.88	60	413
60	do	3470/03-08-20	Sand	7800	150	4.25	1.62	6.88	60	413
61	do	3471/04-08-20	Sand	7800	150	4.25	1.62	6.88	60	413
62	do	3472/04-08-20	Sand	7800	150	4.25	1.62	6.88	60	413
63	do	3460/29-07-20	Sand	7800	150	4.25	1.62	6.88	60	413
64	do	3461/29-07-20	Sand	7800	150	4.25	1.62	6.88	60	413
65	do	3473/04-08-20	Sand	7800	150	4.25	1.62	6.88	60	413
66	do	3474/04-08-20	Sand	8400	150	4.25	1.62	6.88	60	413
67	do	3477/04-08-20	Sand	8400	150	4.25	1.62	6.88	60	413
68	do	3478/05-08-20	Sand	8840	170	4.81	1.62	7.79	60	468
69	do	3479/05-08-20	Sand	8840	170	4.81	1.62	7.79	60	468
70	do	3480/05-08-20	Sand	8840	170	4.81	1.62	7.79	60	468
71	do	3481/05-08-20	Sand	8840	170	4.81	1.62	7.79	60	468
72	do	3482/05-08-20	Sand	8840	170	4.81	1.62	7.79	60	468
73	do	3483/05-08-20	Sand	8840	170	4.81	1.62	7.79	60	468
74	do	3453/07-07-20	Sand	8840	170	4.81	1.62	7.79	60	468
	General Head							0.00		0
75	M/s Mamta Transportation village Bahwa . P.O Jadoli . Nirmand	1414/27-11-22	Agg	4930	85	2.41	1.52	3.66	80	293
76	do	1415/27-11-22	Sand	4930	85	2.41	1.62	3.90	80	312
77	do	1330/23-06-22	Sand	9860	170	4.81	1.62	7.79	80	624
78	do	1329/23-06-22	Agg	9860	170	4.81	1.52	7.31	80	585
79	do	1334/30-06-22	Stone	14000	2 tipper	6.48	2.24	14.52	80	1161
80	do	1336/02-07-22	Sand	9860	170	4.81	1.62	7.79	80	624
81	do	1323/06-06-22	Agg	9860	170	4.81	1.52	7.31	80	585
82	do	1321/04-06-22	Sand	9860	170	4.81	1.62	7.79	80	624
83	do	1335/02-08-22	Stone	35000	5 tipper	16.2	2.24	36.29	80	2903
84	do	1439/12-03-22	Stone	21000	3 tipper	9.72	2.24	21.77	80	1742
85	do	1440/13-08-23	Sand	9860	170	4.81	1.62	7.79	80	624
86	do	1444/14-03-23	Agg	9860	170	4.81	1.52	7.31	80	585
87	do	1492/22-03-23	Stone	28000	4 tipper	12.96	2.24	29.03	80	2322
88	do	1433/03-03-23	Agg	4930	85	2.41	1.52	3.66	80	293
89	do	1489/22-03-23	Stone	63000	9 tipper	29.16	2.24	65.32	80	5225
90	do	1450/16-03-23	Sand	9860	170	4.81	1.62	7.79	80	624
91	do	1491/22-03-23	Sand	9860	170	4.81	1.62	7.79	80	624
92	do	1449/15-03-23	Agg	9860	170	4.81	1.52	7.31	80	585
93	do	1294/21-05-22	Agg	19720	340	9.62	1.52	14.63	80	1170
94	do	1295/22-05-22	Sand	9860	170	4.81	1.62	7.79	80	624
95	do	1296/23-05-22	Agg	19720	340	9.62	1.52	14.63	80	1170
96	do	1297/24-05-22	Sand	9860	170	4.81	1.62	7.79	80	624
97	do	1365/13-09-22	Agg	9860	170	4.81	1.52	7.31	80	585
98	do	1366/13-09-22	Sand	9860	170	4.81	1.62	7.79	80	624
99	do	1346/01-08-22	Stone	7000	1 tipper	3.24	2.24	7.26	80	581
100	do	1409/24-11-22	Sand	9860	170	4.81	1.62	7.79	80	624
101	do	1411/25-11-22	Agg	9860	170	4.81	1.52	7.31	80	585
102	do	1410/25-11-22	Sand	9860	170	4.81	1.62	7.79	80	624
103	do	1413/26-11-22	Agg	9860	170	4.81	1.52	7.31	80	585
104	do	1412/26-11-22	Sand	9860	170	4.81	1.62	7.79	80	624
105	do	1345/04-08-22	Sand	9860	170	4.81	1.62	7.79	80	624
106	do	1031/28-05-21	Agg	8500	170	4.81	1.52	7.31	80	585
107	do	1032/29-05-21	Sand	8160	170	4.81	1.62	7.79	80	624
108	do	1171/20-01-22	Agg	8500	170	4.81	1.52	7.31	60	439
109	do	1172/20-01-22	Sand	8160	170	4.81	1.62	7.79	60	468
	Total									78962

Santosh Kumar
Junior Auditor
HP State Audit De
Shimla - 9

परिशिष्ट (ज) पैरा संख्या 9 (ज) के साथ है

क्र० सं०	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	कटौती की दर	राशि
	MG NREGA Head					
1	M/s Mamta Transportation village Bahwa , P.O Jadoli , Nirmand	1185/15-02-22	Stone	19500	2%	390
2	do	1239/19-03-22	Stone	26000	2%	520
3	do	1241/19-03-22	Stone	26000	2%	520
4	do	1238/18-03-22	Stone	26000	2%	520
5	do	1242/19-03-22	Stone	19500	2%	390
6	do	1262/21-03-22	Stone	26000	2%	520
7	do	1092/28-08-21	Sand	5600	2%	112
8	do	1088/26-08-21	Agg	8500	2%	170
9	do	1084/23-08-21	Sand	8160	2%	163
10	do	1085/23-08-21	Agg	8500	2%	170
11	do	1080/14-08-21	Sand	8160	2%	163
12	do	1082/18-08-21	Agg	8500	2%	170
13	do	1081/18-08-21	Sand	8160	2%	163
14	do	1083/19-08-21	Agg	8500	2%	170
15	do	1089/27-08-21	Sand	8160	2%	163
16	do	1091/27-08-21	Agg	8500	2%	170
17	do	1094/29-08-21	Sand	8160	2%	163
18	do	1095/29-08-21	Agg	8500	2%	170
19	do	1260/21-03-22	Sand	9600	2%	192
20	do	1261/21-03-22	Sand	9600	2%	192
21	do	1231/17-03-22	Sand	6720	2%	134
22	do	1235/18-03-22	Sand	8160	2%	163
23	do	1229/11-03-22	Sand	6720	2%	134
24	do	1254/21-03-22	Sand	8160	2%	163
25	do	1246/20-03-22	Sand	4080	2%	82
26	do	1244/20-03-22	Sand	4080	2%	82
27	do	1251/20-03-22	Sand	8160	2%	163
28	do	1243/19-03-22	Sand	4080	2%	82
29	do	1247/20-03-22	Sand	4080	2%	82
30	do	1259/21-03-22	Sand	8160	2%	163
31	do	1258/21-03-22	Sand	8160	2%	163
32	do	1245/20-03-22	Sand	4080	2%	82
33	do	1248/20-03-22	Sand	4080	2%	82
34	do	1256/21-03-22	Sand	8160	2%	163
35	do	1253/21-03-22	Sand	8160	2%	163
36	do	1249/20-03-22	Sand	4080	2%	82
37	do	1255/21-03-22	Sand	8160	2%	163
38	do	1250/20-03-22	Sand	4080	2%	82
39	Hem chand Village Thanu P.O. Kangal, Kumarsain	3715/05-11-20	Stone	11000	1%	110
40	do	3487/20-08-20	Stone	10000	1%	100
41	do	3488/30-08-20	Stone	10000	1%	100

4[illegible]	do	3494/21-09-20	Stone	10000	1%	100
43	do	3489/10-09-20	Stone	11000	1%	110
44	do	3490/11-09-20	Stone	5500	1%	55
45	do	3498/04-10-20	Agg	9860	1%	99
46	do	3495/21-09-20	Stone	5500	1%	55
47	do	3497/03-10-20	Sand	8840	1%	88
48	do	3493/17-09-20	Sand	7990	1%	80
49	do	3499/28-10-20	Agg	11600	1%	116
50	do	3496/22-09-20	Stone	11000	1%	110
51	do	3459/24-07-20	Stone	11000	1%	110
52	do	3462/02-08-20	Stone	16500	1%	165
53	do	3464/02-08-20	Sand	7800	1%	78
54	do	3465/02-08-20	Sand	7800	1%	78
55	do	3466/02-08-20	Sand	7800	1%	78
56	do	3458/19-07-20	Sand	7800	1%	78
57	do	3467/03-08-20	Sand	7800	1%	78
58	do	3468/03-08-20	Sand	7800	1%	78
59	do	3469/03-08-20	Sand	7800	1%	78
60	do	3470/03-08-20	Sand	7800	1%	78
61	do	3471/04-08-20	Sand	7800	1%	78
62	do	3472/04-08-20	Sand	7800	1%	78
63	do	3460/29-07-20	Sand	7800	1%	78
64	do	3461/29-07-20	Sand	7800	1%	78
65	do	3473/04-08-20	Sand	7800	1%	78
66	do	3474/04-08-20	Sand	8400	1%	84
67	do	3477/04-08-20	Sand	8400	1%	84
68	do	3478/05-08-20	Sand	8840	1%	88
69	do	3479/05-08-20	Sand	8840	1%	88
70	do	3480/05-08-20	Sand	8840	1%	88
71	do	3481/05-08-20	Sand	8840	1%	88
72	do	3482/05-08-20	Sand	8840	1%	88
73	do	3483/05-08-20	Sand	8840	1%	88
74	do	3453/07-07-20	Sand	8840	1%	88
	General Head					0
75	M/s Mamta Transportation village Bahwa , P.O Jadoli , Nirmand	1394/16-10-22	JCB Works	41800	2%	836
76	do	1395/16-10-22	JCB Works	35200	2%	704
77	do	1396/16-10-22	carraige of soil	70000	2%	1400
78	do	1418/12-10-22	carraige of soil	29000	2%	580
79	do	1416/06-12-22	JCB Works	38500	2%	770
80	do	1414/27-11-22	Agg	4930	2%	99
81	do	1415/27-11-22	Sand	4930	2%	99
82	do	1427/10-01-23	JCB Works	83900	2%	1678
83	do	1429/19-01-23	JCB Works	35200	2%	704

	do	1399/02-11-22	JCB Works	41800	2%	836
85	do	1330/23-06-22	Sand	9860	2%	197
86	do	1329/23-06-22	Agg	9860	2%	197
87	do	1334/30-06-22	Stone	14000	2%	280
88	do	1336/02-07-22	Sand	9860	2%	197
89	do	1323/06-06-22	Agg	9860	2%	197
90	do	1321/04-06-22	Sand	9860	2%	197
91	do	1335/02-08-22	Stone	35000	2%	700
92	do	1439/12-03-22	Stone	21000	2%	420
93	do	1440/13-08-23	Sand	9860	2%	197
94	do	1444/14-03-23	Agg	9860	2%	197
95	do	1492/22-03-23	Stone	28000	2%	560
96	do	1433/03-03-23	Agg	4930	2%	99
97	do	1489/22-03-23	Stone	63000	2%	1260
98	do	1450/16-03-23	Sand	9860	2%	197
99	do	1491/22-03-23	Sand	9860	2%	197
100	do	1449/15-03-23	Agg	9860	2%	197
101	do	1294/21-05-22	Agg	19720	2%	394
102	do	1295/22-05-22	Sand	9860	2%	197
103	do	1296/23-05-22	Agg	19720	2%	394
104	do	1297/24-05-22	Sand	9860	2%	197
105	do	1365/13-09-22	Agg	9860	2%	197
106	do	1366/13-09-22	Sand	9860	2%	197
107	do	1346/01-08-22	Stone	7000	2%	140
108	do	1409/24-11-22	Sand	9860	2%	197
109	do	1411/25-11-22	Agg	9860	2%	197
110	do	1410/25-11-22	Sand	9860	2%	197
111	do	1413/26-11-22	Agg	9860	2%	197
112	do	1412/26-11-22	Sand	9860	2%	197
113	do	1345/04-08-22	Sand	9860	2%	197
114	do	1031/28-05-21	Agg	8500	2%	170
115	do	1032/29-05-21	Sand	8160	2%	163
116	do	1171/20-01-22	Agg	8500	2%	170
117	do	1172/20-01-22	Sand	8160	2%	163
	Total			**1518980**		**27181**

Santosh Kumar
Junior Auditor
HP State Audit Depn
Shimla-9

~~31~~ 32